

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक:प.7(1)गृह-7 / 2021

जयपुर, दिनांक 25.04.2021

:: संशोधित आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.04.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


1. बिन्दु संख्या 7 में तालिका के क्रम संख्या 6 में :-

क्र. सं.	दुकाने	वार	समय
6.	सब्जियां एवं फलों को टेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो-रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय पर।	प्रतिदिन	प्रातः 06 बजे से सायं 05 बजे तक

2. बिन्दु संख्या 15 में :-

- सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल/डीजल प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
- एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की अनुमति होगी।

विभाग द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

  
(सुरेश गुप्ता)  
शासन सचिव, गृह

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

  
शासन सचिव, गृह